वित्तीय स्वीकृति (आयोजनागत)

संख्या-90/2015/748/एक-5-2015-70/2010

प्रेषक,

गिरीश चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 08 जून, 2015**

विषयः-जनपद कासगंज कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या-1273/एक-5-2010-70/2010, दिनांक 02 जुलाई, 2010 द्वारा जनपद कासगंज कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु मानकीकृत लागत रू0 865.94 लाख की लागत पर अनन्तिम रूप से प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त गयी, तत्कम में शासनादेश संख्या-2967/ एक-5-2010-70/2010, दिनांक 29 दिसम्बर, 2010 के द्वारा अन्तिम रूप में रू0 1005.09 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए उक्त शासनादेश दिनांक 02 जुलाई, 2010 के द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी रू0 200.00 लाख की धनराशि में से शासनादेश संख्या-220/एक-5-2012-11/2010, दिनांक 20 मार्च, 2012 के द्वारा रूपये 1,42,08,480/-(रूपये एक करोड़ बयालीस लाख आठ हजार चार सौ अस्सी मात्र) की धनराशि जनपद कासगंज के जिलाधिकारी कार्यालय/आवासीय भवनों के लिये ग्राम- जखारूद्रपुर की रू0 20.83 हेक्टेअर भूमि अर्जन की कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में धारा-6 (1)/17 हेतु प्रतिकर के रूप में नियमानुसार व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी, जिसके पश्चात मात्र रू0 57.9152 लाख की धनराशि कलेक्ट्रेट के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था के पास शेष रह गयी। शासनादेश संख्या-86/एक-5-2014-70/2010,दिनांक 17 जनवरी, 2014 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-477/एक-5-2014-70/2010, दिनांक 04 मार्च, 2014 के द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 300.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-1320/एक-5-2014-70/2010, दिनांक 22 अगस्त, 2014 के द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-42/एक-5-2015-70/2010, दिनांक 29 जनवरी, 2015 के द्वारा पंचम किश्त के रूप में रू0 247.17 लाख की धनराशि अवमुक्त अर्थात् अनुमोदित लागत रू0 1005.09 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। उक्त के अनुक्रम में, अब शासनादेश संख्या-170/एक-5-2015-70/2010, दिनांक 25 मई, 2015 द्वारा उक्त कार्य हेतु अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 1740.03 लाख के सापेक्ष अन्तर की धनराशि के रूप में रू0 647.00 लाख (रूपये छः करोड़ सैतालीस लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना हेतु पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि न तो स्वीकृत की गयी और न ही अन्य किसी योजना में वित्त पोषण हेतु प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा कार्य की विशिष्टयां, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित कराते हुए कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण कराया जायेगा।

(3) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त कार्य के लिये भविष्य में पुनः पुनरीक्षित लागत स्वीकृत किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।

(4) राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि नियमानुसार आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उक्त प्रायोजन हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी, जिसका व्यय नियमानुसार इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से कार्य की सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(6) शेष 05 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही परियोजना के कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने पर की जायेगी।

(5) शेष शर्तें मूल शासनादेश के अनुसार यथावत् रहेंगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-कार्यालय भवन-800-अन्य व्यय-21-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के चालू कार्यों एवं भूमि क्रय हेतु-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 के द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
गिरीश चन्द्र
अनु सचिव।

संख्या-90/2015/748(1) /एक-5-2015-70/2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(5) जिलाधिकारी, कासगंज।
(6) प्रबंध निदेशक, पैकफेड/संबंधित परियोजना प्रबंधक।
(7) राजस्व अनुभाग-6
(8) गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।